


परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(96)कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 21.07.1993 को, इसके द्वारा तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3]
राज्यपाल के आदेश से,


डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, rescinds this department's notification number F.6(96)/Tax/Education/ 89 dated 21.07.1993.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3]

By Order of the Governor,



(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to the Government